न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नेछवा जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– मोहरसिंह मीणा (आर.ए.एस)

प्रा0प0 संख्या 160/23 (मुल नम्बर 34 /22)

1. विनोद सिंह पुत्र इन्द्र सिंह
2. अशोक सिंह पुत्र भोपाल सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम तिड़ोकी बड़ी तहसील नेछवा जिला सीकर

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. डाल सिंह पुत्र केशर सिंह
2. विक्रम सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह
3. प्रहलाद सिंह पुत्र केशर सिंह
4. विक्रम सिंह पुत्र भोपालसिंह
5. सायर सिंह पुत्र इन्द्र सिंह
6. युवराज सिंह पुत्र झबरसिंह नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता मंजू कंवर पत्नि झबर सिंह
7. शिवराज सिंह पुत्र झबरसिंह नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता मंजू कंवर पत्नि झबर सिंह
8. मंजू कंवर पत्नि झबर सिंह
9. निर्मला कंवर पुत्री इन्द्र सिंह
10. सज्जन सिंह पुत्र हनुमानसिंह
11. सियानसिंह पुत्र रूप सिंह
12. रामूसिंह पुत्र गंगासिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम तिड़ाकी बड़ी तहसील नेछवा जिला सीकर
13. पटवारी हल्का तिड़ोकी बड़ी तहसील नेछवा जिला सीकर
14. उप पंजियक नेछवा
15. तहसीलदार नेछवा

– अप्रार्थीगण –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित – वकील प्रार्थीगण– श्री महिपालसिंह.
वकील अप्रार्थी संख्या 1 ता 3– श्री उम्मेद सिंह शेखावत

निर्णय

दिनांक :– **14.08.2024**

उपखण्ड अधिकारी
नेछवा (सीकर)

Scanned with CamScanner

वकील प्रार्थी ने एक दावा मय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 334, 379 व 411 किता 3 कुल रकबा 7.63 है0 वाके ग्राम तिड़ोकी बड़ी तहसील नेछवा जिला सीकर में अवस्थित हैं जो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 3 ता 10 की पैतृक वंशानुगत कृषि काश्त की आराजियात है। जिनमें प्रार्थी संख्या 1 का 1/20 हिस्सा एवं प्रार्थी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा है। इसी अनुसार कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है। लेकिन वादग्रस्त आराजियात संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जे काश्त की भूमियां है जिनका आदिनांक तक विधिक विभाजन नहीं हुआ है। बिना विभाजन के पक्षकारान को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। संयुक्त रूप से काश्त करना असंभव हो रखा है तथा आये दिन सींव नींव को लेकर विवाद की स्थिति बनी रहती है। इसी बीच अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 को खसरा नम्बर 334 में से 0.56 है0 भूमि का एक नुमाईशी विक्रय पत्र पंजिबद्व करवा दिया जबकि भूमियों का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन नहीं हुआ है। इसलिये अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे विवादित आराजियात की रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीण को जरिये नोटिस तलब किया गया । जिस पर अप्रार्थी संख्या 4 ता 15 बावजूद विधिवत तामिल के अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता श्री उम्मेदसिंह शेखावत् उपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा जवाब आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत एवं निराधार है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 को अपने हक हिस्से में से भूमि 0.56 है0 का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.5.22 को किया गया है जिसका नामा0 तस्दीक नहीं होने के कारण यह दावा एवं प्रार्थना पत्र माननीय न्यायाल में प्रस्तुत किया गया है। अतः आवेदन खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील उभय पक्ष सूनी गई जो आवेदन एवं जवाब आवेदन के अनुसार रही वकील उभय पक्ष रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के पक्ष में हैं। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने जो भूमि अप्रार्थी संख्या 2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 16.5.22 को विक्रय की है का नामान्तरकरण दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान करते हुऐ पाबन्द कर दिये जाने का कथन किया।

आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में मुख्य विवाद बिन्दु भुमियों का अविभाजित होना है। जिसके लिये मूल वाद में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई है। चुंकि अप्रार्थी संख्या 2 ने भूमि सहखातेदार से उसके दर्ज हिस्से में से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है तो उसके आधार पर उसका नाम खातेदारी में दर्ज होना है। इसलिये विक्रय पत्र दिनांक 16.5.2022 के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज किये जाने की अनुमति के साथ उभयपक्षों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि तादोराने दावा विवादित आराजियात खसरा नम्बर 334, 379 व 411 किता 3 कुल रकबा 7.63 है0 वाके ग्राम तिड़ोकी बड़ी तहसील नेछवा जिला सीकर की राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें ।

आदेश आज दिनांक **14.08.2024** को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(गोवर्धन सिंह मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, नेछवा

उपखण्ड अधिकारी
नेछवा (सीकर)

Scanned with CamScanner